



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2014/चैत्र 26, 1936

No. 898]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2014/CHAITRA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2014

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2014

क्र. आ. 1091(अ).—जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उप-धारा के अंतर्गत दिनांक 14-03-2005 को जारी नजरबंदी आदेश सं801/19/2004-पीआईटीएनडीपीएस के अधीन निर्देश दिया था कि श्री मोहम्मद अयूब, सुपुत्र स्व. श्री अब्दुल रहीम छिप्पा, गांव खानपुरा, तहसील और जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें केन्द्रीय कारागार, उदयपुर (राजस्थान) में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फारार है या अपने आपको छिपा रहा है जिसके कारण उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो सका है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर श्री लक्ष्मण कटारिया, निरीक्षक, अधीक्षक का कार्यालय, निवारण एवं आसूचना प्रकोष्ठ, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, छोटी, सदारी रोड, प्रतापगढ़ (राजस्थान) के समक्ष पेश हो।

[फा. सं. 801/19/2004-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

S.O. 1091(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Detention Order No.801/19/2004-PITNDPS dated 14.03.2005 under the said sub-section directing that Shri Mohd. Ayub s/o Shri Abdul Rahim Chippa, Khanpura, Tehsil & Distt. Mandsaur (M.P.), be detained and kept in custody in Central Jail, Udaipur, Rajasthan with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the said detention order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri Laxman Kataria, Inspector, Office of the Superintendent, Preventive and Intelligence Cell, Central Bureau of Narcotics, Chhoti Sadari Road, Pratapgarh (Rajasthan) within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F.No. 801/19/2004-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA Under Secy.